WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

APRIL 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तगर्त 74 अनुसूचित नियोजनों में महंगाई भत्ता
- सरकार ने RAMP के लिए 6062 करोड़ रुपये की दी मंजूरी, विश्व बैंक से लिया जाएगा 3750 करोड़ का कर्ज
- जीएसटी रिटर्न की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी
- उद्योगों के विकास के लिए बनाई जाएगी नई एमएसएमई नीति
- यूपी : एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने दिए निर्देश, जिस उद्यम के लिए ली जमीन, वही करना होगा स्थापित
- एमएसएमई के कायाकल्प पर शुरू हो रहा काम
- 2021-22 के लिए जारी हुए आईटीआर फॉर्म, विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ और पीएफ पर ब्याज की मांगी जानकारी
- भारी जुर्माने से बचने को आईटीआर अपडेट करे
- बदलते परिवेश में सख्त नियमन जरुरी: वित्त मंत्री
- मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी- विश्व बाजार में देसी उत्पादों की बढ़ती मांग
- उत्तर प्रदेश में बनेंगे नए एप और पोर्टल
- उपभोक्ता खुद किस्त बनाकर कर सकेंगे बिजली बिल का भुगतान
- 666 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर, सुधरेगी विद्युत आपूर्ति
- खराब ट्रांसफार्मर सुधारें, नहीं तो होगी कार्रवाई : एमडी
- समय पर बिजली ठीक न करने पर अब विभाग को देना होगा जुर्माना
- उड़ान में देरी या रद्द होने पर यात्री के क्या है अधिकार
- निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तगर्त 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तगर्त राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यू०वे०)/4 दिनांक, 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931 (न्यू०वे०)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारो हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गई है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर 1/6 से कम न होगी।

उक्त के क्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के औसत अंक 358 अंको के ऊपर दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 30-09-2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त रूपये-5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-358 पर दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 30-09-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(358-216)x5750 = रूपये 3780/प्रतिमाह
216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत है-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में		दिनांक 01-04-2022 से 30-09-2022 तक	
			दिनांक 01-10-2021 से 31-03-2022 तक	दिनांक 01-04-2022 से 30-09-2022 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	3434	3780	9530	366.54
2	अर्धकुशल	6325	3777.29	4158	10483	403.19
3	कुशल	7085	4231.16	4658	11743	451.65

सरकार ने RAMP के लिए 6062 करोड़ रुपये की दी मंजूरी, विश्व बैंक से लिया जाएगा 3750 करोड़ का कर्ज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की सहायता वाले "राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस" (RAMP) कार्यक्रम के लिए 808 मिलियन अमरीकी डालर या 6,062.45 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी। RAMP एक नई योजना है और वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू होगी।

योजना में कुल 6,062.45 करोड़ रुपये या 808 मिलियन अमरीकी डालर निवेश करना है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपये या 500 मिलियन अमरीकी डालर विश्व बैंक से लोन लिया जाएगा और बाकी 2312.45 करोड़ रुपये या 308 मिलियन अमरीकी डालर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

क्या है RAMP?

RAMP, विश्व बैंक की सहायता वाली सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसका उद्देश्य कोरोना से प्रभावित MSME के प्रदर्शन को बेहतर करना और उसे स्पीड देना है। इस काम में यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के प्रयासों को बल देगी।

इसका उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र तथा राज्य में इंस्टीट्यूशन्स और गवर्नेंस को मजबूती देना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को सुलझाना और एमएसएमई को बेहतर करना है। राष्ट्रीय स्तर पर MoMSME की क्षमता के निर्माण के अलावा, RAMP कार्यक्रम राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और MSME कवरेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubhamorganics95@gmail.com

जीएसटी रिटर्न की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान दाखिल किये गए जीएसटी रिटर्न की जांच के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है। बोर्ड ने कहा, जब तक सीबीआइसी-जीएसटी आवेदन पर रिटर्न की ऑनलाइन जांच के लिए मॉड्यूल उपलब्ध नहीं कराता है तब तक अंतरिम उपाय के तौर पर रिटर्न की जांच के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है। बोर्ड ने कहा कि जांच के लिए सिर्फ उन्ही रिटर्न का चयन किया जाना चाहिए, जिनमे कुछ बड़ी गड़बड़ी का पता चले। पंजीकृत जीएसटीआइएन के चयन का काम डायरेक्ट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ केंद्रीय कर अधिकारियों को सौंपा गया है। जांच के दौरान कर दाता के साथ कम से कम प्रत्यक्ष संपर्क किया जाए और जांच के लिए डीजीआरएम, जीएसटीएन, ई-वे बिल पोर्टल आदि जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डाटा और विवरणों पर भरोसा किया जाए। जांच के दौरान यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो विभाग कर, ब्याज और जुर्माने सहित किसी अन्य राशि की मात्रा निर्धारित करते हुए नोटिस जारी कर सकता है।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

उद्योगों के विकास के लिए बनाई जाएगी नई एमएसएमई नीति

पहले कार्यकाल में उद्योगों के विकास पर खास जोर देने वाली योगी सरकार ने इस बार भी इसे प्राथमिकता पर रखा है। मिशन मोड पर काम करने के लिए बनाई गई अगले सौ दिन की कार्ययोजना में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को अलग सेक्टर के रूप में चिन्हित किया है।

इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित अन्य संबंधित विभाग शामिल हैं। अभी कार्ययोजना को जो खाका खींचा है, उसमें नई एमएसएमई नीति और मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ाना देने के लिए फार्मास्युटिकल मैन्यूफैक्चरिंग नीति (2018) में संशोधन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गत दिवस बुलाई गई सभी विभागों की बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सौ दिन की समग्र कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत किया। विभिन्न विभागों की योजनाओं के समन्वित कुल दस सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग काफी महत्वपूर्ण है।

इसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स भी शामिल हैं। सभी विभागों ने अपनी-अपनी ओर से वह बिंदु इस कार्ययोजना में शामिल कराए हैं, जिन पर वह अगले सौ दिन में काम करेंगे।

मुख्यमंत्री के सामने इनका प्रस्तुतीकरण हो चुका है और अब जल्द ही इस सेक्टर का अलग से प्रस्तुतीकरण योगी देखेंगे। फिलहाल जो रूपरेखा बनी है, उसमें प्रस्ताव रखा गया है कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन की शुरुआत की जाएगी। कोरोना काल के दौरान चिकित्सा उपकरणों का संकट देख चुकी सरकार इस क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।

इसके लिए मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने की योजना है। पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन और लाभ दिलाने के लिए फार्मास्यूटिक मैन्यूफैक्चरिंग नीति (2018) का संशोधन किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश से निर्यात को बढ़ाने में सहायक रहे एमएसएमई सेक्टर को और बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए नई एमएसएमई नीति बनाई जाएगी।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का सरलीकरण किया जाएगा। पांच सामान्य सुविधा केंद्रों का उद्घाटन कर 15 नए स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग नई उप्र हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी- 2022 बनाएगा।

तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी :

सौ दिन के लक्ष्य में तीसरी ग्राउंड बेकिंग सेरेमनी भी शामिल है। पहले कार्यकाल में आए निवेश को जमीन पर उतारते हुए और औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास इस कार्यक्रम में कराने के साथ नया निवेश आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा सौवें दिन एमएसएमई विभाग द्वारा ऋण मेला भी आयोजित किया जाएगा।

यूपी : एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने दिए निर्देश, जिस उद्यम के लिए ली जमीन, वही करना होगा स्थापित

एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने खादी भवन में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्यमियों ने किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जिस उद्यम की स्थापना के लिए भूमि ली है, वहां वही उद्यम स्थापित होना चाहिए। उन्होंने विभागों के दो वर्ष में किए गए कार्यों का ब्यौरा और निदेशालयों की स्टेटस रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में प्रस्तावित टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना का कार्य 100 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाए।

सचान ने कहा कि प्रदेश में कृषि के बाद एमएसएमई में रोजगार की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन को बढ़ाने और नए उद्यमों के स्थापना के लिए तेजी से कार्य किया जाए। सभी अधिकारी व कर्मचारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मिशन मोड में कार्य करें। उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में स्थापित उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के नए पाठ्यक्रमों को यथाशीघ्र अनुमोदित कराया जाए।

मंत्री ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे के पास एमएसएमई के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि शहरों में खादी विभाग की भूमि खाली पड़ी है, वहां खादी प्लाजा बनाया जाए। प्रदेश में रेशम की खपत के सापेक्ष उत्पादन बहुत कम है। इसलिए रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करें। इसके लिए तराई क्षेत्रों में किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग मनीष चौहान, निदेशक रेशम नरेंद्र सिंह पटेल, विशेष सचिव हथकरघा शेषमणि पांडेय और विशेष सचिव एमएसएमई प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे।

100 दिन बताई कार्ययोजना:

अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई, रेशम, हथकरघा और खादी व ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने 100 दिन की कार्ययोजना के बारे में बताया। कहा कि अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। ओडीओपी योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में हथकरघा व वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल्स पार्क विकसित करने का कार्यवाही की जा रही है। रेडीमेड गारमेंट के लिए फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है।

एमएसएमई के कायाकल्प पर शुरू हो रहा काम

शुरू हुए वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर काम शुरू हो रहा है। एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार नए वित्त वर्ष में राष्ट्रीय एमएसएमई काउंसिल का गठन किया जाएगा। सभी राज्य एमएसएमई के लिए रणनीति निवेश योजना तैयार करेंगे और केंद्र उन योजनाओ के हिसाब से राज्यों को वित्तीय मदद देगी। एमएसएमई सेक्टर को सभी राज्यों के तरफ से दी जाने वाली सुविधा का लाभ दिलाने के लिए पोर्टल ऑफ़ पोर्टल्स बनाया जाएगा। वहीं, एमएसएमई उत्पादों को जीरो डिफेक्ट के स्तर तक ले जाने के लिए प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है। इन सबका लाभ यह होगा कि एमएसएमई की उत्पादन लागत कम होगी। बैंको से आसान कर्ज मिलेगा और स्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।

एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमएसएमई के विकास के लिए केंद्र व राज्य मिलकर काम करेंगे। इसके लिए पहली बार राष्ट्रीय एमएसएमई काउंसिल का गठन हो रहा है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और सभी राज्यों के एमएसएमई मंत्री काउंसिल के सदस्य होंगे। राष्ट्रीय काउंसिल से जुड़े होने से राज्यों को पता चल सकेगा कि किस राज्य में एमएसएमई के लिए क्या योजनाएं है। केंद्र उन योजनाओं के हिसाब से राज्यों को फंड देगी।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com Mobile No.: 9837031861, 9927025661

2021-22 के लिए जारी हुए आईटीआर फॉर्म, विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ और पीएफ पर ब्याज की मांगी जानकारी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए। इनमें अन्य जानकारियों के साथ विदेश में सेवानिवृत्ति लाभों और सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर ब्याज के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर-1 से आईटीआर-5 तक फॉर्म अधिसूचित किए हैं। कॉरपोरेट और ट्रस्ट के लिए आईटीआर-6 व आईटीआर-7 फॉर्म बाद में जारी किए जाएंगे।

आईटीआक-1 फॉर्म उन लोगों को भरना है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और इसे अधिकांश रूप से पिछले साल की तरह ही रखा गया है। हालांकि, यह कहा गया है कि शुद्ध वेतन की गणना करते समय निर्धारिती को विदेशी सेवानिवृत्ति निधि से आय के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।

इसके अलावा, आईटीआर-2 फॉर्म में ढाई लाख रुपये सालाना से अधिक के भविष्य निधि योगदान पर पर अर्जित किए गए ब्याज के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

भारी जुर्माने से बचने को आईटीआर अपडेट करे

केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2022 से आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है।

नई सुविधा के तहत कोई भी करदाता संबंधित मूल्यांकन वर्ष खत्म होने के बाद दो वर्ष के अंदर अतिरिक्त आय की जानकारी दे सकता है। ऐसा ना करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में आपने रिटर्न में किसी आय की जानकारी नहीं दी है तो जल्द से जल्द आईटीआर को अपडेट कर दे।

अभी तक आयकर विभाग की और से रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दी जा रही थी। इसके तहत करदाता को मूल्यांकन वर्ष के दौरान 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना होता था। यानी करदाता को वास्तविक रिटर्न दाखिल करने के बाद पांच महीने के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न जमा करना होता था। इसके बाद अतिरिक्त आय की जानकारी देने का विकल्प नहीं था। इस पर करदाताओं को 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक का जुर्माना झेलना पड़ता था।

बदलते परिवेश में सख्त नियमन जरुरी: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने की नीति के चलते पिछले कुछ वर्षो में एलएलपी के रूप में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। इसे देखते हुए सख्त नियमन की भी जरुरत बढ़ी है। संशोधन विधेयक के तहत कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें तीनो संस्थानों के प्रतिनिधि होंगे। किसी तरह के गलत आचरण के मामले में पार्टनर्स और फर्म पर जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

इस संशोधन विधेयक को पारित कराने के क्रम में सदन से करीब 200 बार ध्वनिमत से मंजूरी मांगी गई। इस विधेयक को सदन से पारित कराने के क्रम में 30 मिनट लग गए क्योकि इसमें 106 उपबंध एवं उपबंध आधारित संशोधनों पर सदन की मंजूरी ली गई। बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि किसी विधेयक के उपबंधों और उससे जुड़े संशोधनों पर सदन को मंजूरी देने में इतना समय लगा।

मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी- विश्व बाजार में देसी उत्पादों की बढ़ती मांग

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विश्व में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग का जो उल्लेख किया, वह एक वास्तविकता है और इसकी पुष्टि हाल में चार सौ अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने से होती है। नि:संदेह यह भारत की बढ़ती क्षमता का परिचायक है, लेकिन अभी उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोकल के लिए वोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की बात एक लंबे समय से की जा रही है।

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन घरेलू बाजार के साथ विश्व बाजार में देसी उत्पादों की मांग अपेक्षा के अनुरूप तब बढ़ेगी, जब उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी और वे उत्पादकता के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरे उतरेंगे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। वास्तव में उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है, जिनके चलते अनेक ऐसे चीनी उत्पादों की भारत में खपत हो रही है, जिन्हें आसानी से देश में बनाने-खपाने के साथ उनका निर्यात भी किया जा सकता है।

यह सामथ्र्य तभी बढ़ सकती है, जब देसी उत्पादों की गुणवत्ता विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार के स्तर पर कोई प्रभावी अभियान छिड़े और उसके तहत शोध एवं अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए। इस क्रम में सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने वाले छोटे और मझोले उद्योगों की विशेष रूप से मदद करनी होगी। ऐसा करके ही एक जिला-एक उत्पाद और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। इस तरह की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जितना केंद्र सरकार को सक्रिय होना होगा, उतना ही राज्य सरकारों को भी।

यह सही समय है कि राज्यों के स्तर पर ऐसे शोध एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित हों, जिनका एकमात्र उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना हो। हमारे उद्यमियों को भी यह समझना होगा कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाए बिना वे विश्व बाजार में स्थान नहीं बना सकते। एक ऐसे समय जब दुनिया के तमाम देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, तब यह स्थिति भारत के लिए एक अवसर है। इस अवसर को भुनाने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं और इसी कारण भारत स्वयं को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे नए एप और पोर्टल

- उत्तर प्रदेश पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजना पोर्टल का शुभारंभ।
- उद्यम सारथी एप को ओर व्यावहारिक बनाकर सभी महाविद्यालों और तकनीकी संस्थानों तक पहुंचाया जाएगा।
- उद्योग संबंधी सभी जिला स्तरीय कार्यालयों में आवेदनों और शिकायतों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालयों में ई-ऑफिस की शुरुआत।
- निर्यात संबंधी सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए निर्यात सारथी एप बनेगा।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

उपभोक्ता खुद किस्त बनाकर कर सकेंगे बिजली बिल का भुगतान

उपभोक्ता अब बिजली बिल की खुद किस्त बनाकर घर बैठे भुगतान कर सकेंगे। उपभोक्ता को ये सुविधा ऑनलाइन हासिल होगी। यह सुविधा अभी जिले में ट्रायल के तौर तीन महीने के लिए है, लेकिन आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि जिले में बिजली महकमे का ओटीएस से पहले 700 करोड़ रुपये का बकाया था। इसमें कुछ उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर बकाया जमा कर दिया है। इसके बाद काफी बकाया आज महकमे का पड़ा हुआ है। किस्त बनाने की सुविधा से जिले के उपभोक्ताओं का राहत मिलेगी। वहीं बिजली महकमे को राजस्व भी मिलेगा। उपभोक्ताओं को यह सुविधा 22 मार्च से तीन महीने के लिए लागू की गई है। वर्तमान में उपभोक्ताओं को बिल के किस्तों में भुगतान के लिए अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता के पास तक दौड़ लगानी पड़ती है।

इस तरह करें भुगतान:

उपभोक्ता को ऑनलाइन किस्त में बिल भुगतान करने के लिए यूपीपीसीएल की वेबसाइट upenergy.in पर अपना ब्योरा दर्ज कराने के भुगतान का विकल्प आने उपभोक्ता बिल की रकम को किस्त के रूप में निर्धारित कर जितनी राशि का भुगतान करना हो कर दें। बकाया राशि अगले बिल में जुड़कर आएगी। नया बिल आने पर उपभोक्ता फिर किस्त बनाकर भुगतान कर सकेगा। इससे उपभोक्ताओं पर विलंब शुल्क भी नहीं लगेगा।

666 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर, सुधरेगी विद्युत आपूर्ति

प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशानुरूप और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत मिले। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जा रहा है। इसके लिए ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पांच उपकेन्द्रो के निर्माण, एबीटी मीटरों की स्थापना तथा उच्च विभव की लाइनों पर ऑप्टिकल फाइबर डालने के कार्य पर लगभग 666 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें कुल तीन नग 220 केवी उपकेन्द्र (बदायूं रोड बरेली, मवाना मेरठ सै०-62 नोएडा) तथा 02 नग 132 केवी उपकेन्द्र (रामनगर बाराबंकी, बुधाना मुजफ्फरनगर) के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया। इसकी कुल लागत 369.51 करोड़ रूपये अनुमानित है। इन उपकेन्द्रों के निर्माण से जनपद बरेली, मेरठ, नोएडा, बाराबंकी एवं मुजफ्फरनगर की विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार होगा। इसके निर्माण से उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज आदि समस्याओं से निजात मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार की पीएसडीएफ ग्रांट से वित्तपोषित एवं सीईए नियमन योजना के अन्तर्गत इन्टरफेस प्वाइंट पर एबीटी मीटरों की स्थापना कार्य तथा 132 केवी एवं उच्च विभव की लाइनों पर ऑप्टिकल फाइबर डालने के कार्य की योजना को स्वीकृत किया गया। इसकी कुल लागत 296.58 करोड़ रूपये अनुमानित है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त रियल टाइम मीटरिंग डाटा एवं ग्रिड प्रबन्धन सुचारू रूप से किया जा सकेगा, जिससे उपभोक्ताओ को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना सम्भव होगा। इस प्रकार कुल 666.09 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को ऊर्जा विभाग की एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदन हेतु संस्तुत किया गया।

PASWARA GROUP

PASWARA PAPERS LIMITED

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

खराब ट्रांसफार्मर सुधारें, नहीं तो होगी कार्रवाई : एमडी

गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) अरविद मल्लप्पा बंगारी ने बिजली अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। जिसमें खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर सबसे अधिक जोर है। साथ ही इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

एमडी ने निर्देश दिया कि पीक सीजन शुरू होने से पहले सभी कार्यशालाओं में तीन से चार घंटे अतिरिक्त कार्य कराकर अधिक से अधिक ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराई जाए। ताकि पीक सीजन में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता हर वक्त सुनिश्चित की जा सके। शासन ने शहरी क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को 48 घंटे की समय सीमा में बदलने का प्रविधान किया है।

यह मरम्मतीकरण कार्य भी इसी माह हो पूरा:

एमडी ने बिजली अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 33 केवी बिजलीघरों के स्विचयार्ड, पावर ट्रांसफार्मर स्विचगियर, कंट्रोल पैनल, विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर क्षमता एवं अर्थिंग, फीडर पर स्थापित आयल सर्किट ब्रेकर आदि की मरम्मत इसी माह पूरी की जाएगी।

ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर मिलाएं हेल्पलाइन नंबर:

अगर ट्रांसफार्मर फुंक गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है तो तत्काल विद्युत हेल्प लाइन नंबर 1912 एवं टोल फ्री नंबर 1800-180-3002 पर शिकायत दर्ज कराएं। बिजली अधिकारियों का दावा है कि त्वरित सुनवाई होगी।

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

समय पर बिजली ठीक न करने पर अब विभाग को देना होगा जुर्माना

अब नया कनेक्शन, मीटर रीडिंग आदि सेवाएं जहां समय से देनी होगी, वहीं ब्रेकडाउन, केबल फॉल्ट आदि की समस्याओं का समय से निस्तारण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अफसरों को मुआवजा देना होगा। इसके राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से 50-200 रूपये तक मुआवजा राशि तय कर दी है। अफसरों की माने तो यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू भी कर दी गई है।

उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान न होने पर क्लेम के बाद अधिकतम 60 दिन में पावर कॉर्पोरेशन को मुआवजा देना होगा। उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान देरी से करने की लगातार शिकायते मिल रही थी। इसके चलते यह निर्णय लिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को समय से सेवाओं का लाभ मिलेगा।

ब्रेकडाउन और मीटर बदलने पर भी मुआवजा:

पावर कॉर्पोरेशन की लाइनों में ब्रेकडाउन होने के बाद समय से सही न करने और मीटर की शिकायत का समय से निस्तारण न करने पर 50-50 रूपये का मुआवजा देना होगा।

यह है जुर्माने की व्यवस्था:

- ओवरहेड लाइन पर 50 रुपये प्रतिदिन
- भूमिगत केबिल पर 50 रुपये प्रतिदिन
- सामान्य फ्यूज उड़ने पर 50 रुपये प्रति घंटा
- ट्रांसफार्मर से वोल्टेज समस्या 50 रुपये प्रतिदिन
- जला ट्रांसफार्मर न बदलने पर 50 रुपये प्रतिदिन
- मीटर शिफ्ट करने पर 50 रुपये प्रतिदिन
- मीटर रीडिंग पर 200 रुपये प्रतिदिन
- ख़राब मीटर न बदलने पर 50 रुपये प्रतिदिन
- जला मीटर न बदलने पर 50 रुपये प्रतिदिन
- बिल संबंधी शिकायत पर 50 रुपये प्रतिदिन
- लोड घटाने-बढ़ाने पर 50 रुपये प्रतिदिन

बिना डेबिट कार्ड एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे

रिज़र्व बैंक ने सभी बैंको को एटीएम से बिना कार्ड नकदी निकासी की सुविधा शुरु करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इससे कार्ड धोखाधड़ी और क्लोनिंग पर अंकुश लगेगा। अभी कुछ ही बैंक इस तरह की सुविधा दे रहे है।

लेनदेन में आसानी:

रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, यूपीआई का उपयोग करते हुए इससे लेनदेन किया जा सकेगा और लोगो को आसानी होगी। एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क व बैंको को जल्द ही अलग-अलग निर्देश जारी किए जाएंगे। यूपीआई के उपयोग से ग्राहकों की पहचान एटीएम नेटवर्क के माध्यम से ही होगा।

ईएमआई कम नहीं होगी:

रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दरों में 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया और इसे 4 प्रतिशत के निचले स्तर पर कायम रखा है। इसका मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक क़िस्त में बदलाव नहीं होगा। रिज़र्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो दरों में बदलाव किया था।

उड़ान में देरी या रद्द होने पर यात्री के क्या है अधिकार

1. सामान खो जाने पर:

० यदि हवाईअड्डे पर आपका कोई सामान गुम हो जाता है या फट जाता है तो आपको तुरंत एयरलाइंस को एक लिखित शिकायत करनी होगी। इसके अलावा आपको हवाईअड्डा छोड़ने से पहले संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट लेना भी जरुरी होता है।

० सामान क्षतिग्रस्त होने पर विमानन कंपनी सामान की मरम्मत के लिए भुगतान कर सकती है। सामान खोने पर एयरलाइंस को द कैरिज बाय एक्ट, 1972 के अनुसार मुआवजा देना होगा।

2. फ्लाइट में देरी:

० डीजीसीए के अनुसार, निर्धारित समय से 24 घंटे कम की देरी पर आप एयरपोर्ट पर भोजन और रिफ्रेशमेंट के हकदार है। यदि विलम्ब 24 घंटे से अधिक होता है तो आपके होटल में ठहरने की व्यवस्था एयरलाइंस को करानी होगी। ऐसे मामले में होटल चुनने का हक़ पूरी तरह से एयरलाइंस पर निर्भर होगा।

3. उड़ान रद्द होने पर:

० यदि फ्लाइट रद्द हो जाती है तो यात्रियों को प्रस्थान की तारीख से कम से कम दो सफ्ताह पहले सूचित करना होगा और वापसी या वैकल्पिक फ्लाइट का विकल्प उन्हें पेश किया जाना चाहिए। अगर सूचित किया जाता है तो टिकट की कीमत वापस करनी होगी।

4. बोर्डिंग से मनाही:

० डीजीसीए का नियम है कि अगर किसी यात्री को ओवरबुकिंग के चलते बोर्डिंग से मना किया जाता है तो कंपनी को वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था होगा। यदि एयरलाइंस वैकल्पिक की व्यवस्था नहीं करती है या यात्री वैकल्पिक एयरलाइंस से नहीं जाना चाहता है तो किराया वापस करना होगा।

5. ऐसे होगा रिफंड:

डीसीए की वेबसाइट के अनुसार, यदि आपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइंस को तुरंत रिफंड करना होगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पैसो को सात दिनों के भीतर लौटाना होगा। अगर ट्रेवल एजेंट से टिकट बुक कराए है तो व्यक्ति को एजेंट से संपर्क करना होगा।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

चैम्बर में 5 अप्रैल को मेदांता-डी मेडीसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव के हार्ट व छाती रोग विशेषज्ञ एवं जनरल फिजिशियन की टीम द्वारा एक निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का प्रारम्भ चैम्बर के अध्यक्ष डा० रामकुमार गुप्ता जी द्वारा किया गया। शिविर में ईसीजी, पीएफटी (पल्मोनरी फंक्शन) जोकि फेफड़ो व सांस से सम्बंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है की सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर एवं शुगर की जांच की गई। शिविर में हेल्थ केयर इमेजिंग सेंटर, शिवाजी रोड, मेरठ के द्वारा Cardiac CT-Scan की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया और विशेष छूट भी ऑफर की गई। शिविर में काफी लोगो ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सम्बंधित डा० विशेषज्ञो से सलाह कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया।

XXXXXXXXXXX